

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

ऋचा कुमारी

बनाम

आनंद कुमार

2022 की विविध अपील सं. 656

02 अगस्त, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडेय)

विचार के लिए मुद्दा

क्या पारित निर्णय व डिक्री उचित नोटिस की सेवा के बिना दिए गए होने के कारण विधिसम्मत हैं?

हेडनोट्स

परिवार न्यायालय की विभिन्न तिथियों की आदेश-पत्रों से यह स्पष्ट होता है कि स्पीड पोस्ट द्वारा नोटिस की सेवा के संबंध में आदेश कितनी सामान्य एवं रूढ़िगत तरीके से पारित किए गए हैं, और किसी भी विशेष तिथि पर यह नहीं दर्शाया गया है कि न्यायालय नोटिस की सेवा से संतुष्ट हुआ। जब तक न्यायालय स्वयं यह संतुष्ट न हो जाए कि नोटिस विधिवत रूप से सेवा नहीं हुआ है, तब तक वह उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक प्रक्रिया अपनाने का आदेश नहीं दे सकता। जहां कहीं भी प्रत्यर्पित सेवा की आवश्यकता होती है, वहां न्यायालय को उसके लिए कारण दर्शाना आवश्यक होता है। (पैरा 5)

एकपक्षीय निर्णय, अपीलकर्ता को नोटिस की सेवा न होने के आधार पर विधिक रूप से असंवहनीय है और उसे पुनः विचार हेतु वापस किया जाना आवश्यक है। (पैरा 4)

न्याय दृष्टान्त

यल्लाव्वा बनाम शांताव्वा, (1997) 11 एस.सी.सी. 159

अधिनियमों की सूची

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; भारतीय दंड संहिता, 1860

मुख्य शब्दों की सूची

एकतरफा डिक्री; वैकल्पिक सेवा; वैवाहिक विवाद; परित्याग; क्रूरता; व्यभिचार; नोटिस की विधिपूर्वक सेवा; आदेश 5 दी.प्र.सं.; कोविड-19 का प्रभाव

प्रकरण से उत्पन्न

वैवाहिक (तलाक) वाद सं. 264/2017, प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से: श्री राम सुमिरन राय, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से: श्री आनंद कुमार (स्वयं उपस्थित)

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 की विविध अपील सं0 656

=====

ऋचा कुमारी पति आनंद कुमार, पुत्री- श्री जयंत कुमार सिंह, निवासी- गाँव
- इस्लामपुर महनार, थाना महनार, जिला-वैशाली, वर्तमान निवासी गाँव-

भभुआ देवरही, वर्तमान निवासी मोहल्ला- गांधी नगर अरबिंदो आश्रम के पास, थाना रूपौली, जिला-पूर्णिया।

..... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

श्री आनंद कुमार पिता अनिल कुमार , निवासी- गाँव-इस्लामपुर महनार, थाना महनार, जिला-वैशाली।

..... उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री राम सुमिरन राय, अधिवक्ता।
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री आनंद कुमार (स्वयं उपस्थित)

=====

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडे,

सी.ए.वी. निर्णय

(द्वारा : माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडे)

तारीख:02-08-2024

वर्तमान अपील, वैशाली, हाजीपुर स्थित पारिवारिक न्यायालय के विद्वान प्रधान न्यायाधीश की अदालत द्वारा वैवाहिक (तलाक) वाद संख्या 264/2017 में पारित दिनांक 24.05.2022 के एकपक्षीय निर्णय और दिनांक 06.06.2022 की डिक्री के विरुद्ध है, जिसके तहत विद्वान विचारण न्यायालय ने उत्तरदाता द्वारा परित्याग, क्रूरता और व्यभिचार के आधार पर दायर तलाक याचिका को स्वीकार कर लिया है।

2. मामले के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि अपीलकर्ता और उत्तरदाता का विवाह 03.03.2011 को हुआ और विवाह के बाद दोनों ने वैवाहिक जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। यह दावा किया गया है कि अपीलकर्ता/पत्नी जून, 2011 से अलग रहने लगी थी। यह भी आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए, 406 के

तहत महनार पुलिस थाने में मामला संख्या 129/2012 दायर किया था। यह भी कहा गया है कि वर्ष 2011 से, अपीलकर्ता/पत्नी और उत्तरदाता/पति के बीच कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हुआ है। उत्तरदाता द्वारा यह दावा किया गया है कि पूर्व में दायर तलाक का मामला संख्या 221/2013 वापस ले लिया गया है, जो अपीलकर्ता के वैवाहिक जीवन में असहयोगात्मक रवैये के कारण दायर किया गया था। अपीलकर्ता ने उत्तरदाता के परिवार के सदस्यों के खिलाफ गलत और मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर कई मामले दर्ज किए। अपीलकर्ता मानसिक रूप से बीमार थी और उसका रांची में इलाज चल रहा था। मानसिक बीमारी के कारण वह आक्रामक हो गई थी और उत्तरदाता ने अपीलकर्ता के खिलाफ क्रूरता, परित्याग और व्यभिचार का आरोप लगाया है। यह भी आरोप लगाया गया है कि नोटिस देने के बाद भी अपीलकर्ता पेश नहीं हुई।

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वैवाहिक (तलाक) वाद संख्या 264/2017 में आक्षेपित निर्णय और डिक्री साक्ष्य के महत्व के विरुद्ध अत्यंत लापरवाही से पारित की गई है और इस प्रकार यह टिकने योग्य नहीं है और इसमें कानून की भावना का आभाव है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि उत्तरदाता ने अपीलकर्ता के विरुद्ध कई झूठे आरोप लगाए हैं और उसके बाद पारिवारिक न्यायालय ने अपीलकर्ता को नोटिस जारी किया, लेकिन उत्तरदाता ने लिफाफे पर गलत पता लिखा है अनंत कुमार सिंह, निवासी ग्राम - बेहब देओढ़ी, थाना सुपौल, जिला-पूर्णिया, के स्थान पर भभुआ देओढ़ी, थाना रूपौली, जिला-पूर्णिया के और तदनुसार, अपीलकर्ता को नोटिस नहीं दिया गया क्योंकि उत्तरदाता-पति द्वारा द्वेषपूर्ण इरादे से अपीलकर्ता का पता गलत लिखा गया है। विद्वान वकील ने आगे

दलील दी कि पारिवारिक न्यायालय ने सुनवाई का अवसर दिए बिना, अपीलकर्ता ने एकपक्षीय कार्यवाही शुरू कर दी। विद्वान वकील ने आगे दलील दी कि आलोचना किए गए फैसले से पता चलता है कि एकपक्षीय सुनवाई के दौरान, उत्तरदाता/पति की ओर से तीन गवाहों की जाँच की गई है। वे हैं: अ.सा. -1/उत्तरदाता- पति स्वयं, अ.सा.-2/अभिषेक कुमार और अ.सा.-3/अनिल कुमार सिंह (उत्तरदाता के पिता)। विद्वान वकील ने आगे दलील दी कि आलोचना किया गया फैसला परित्याग, क्रूरता और व्यभिचार के आधार पर पारित किया गया है, लेकिन उक्त तथ्यों का गवाहों के बयानों द्वारा समर्थन नहीं किया गया है और मामले को लड़ने का उचित अवसर दिए बिना, वैवाहिक विवाद का फैसला नहीं सुनाया जाना चाहिए और अपीलकर्ता की ओर से कोई गवाह पेश नहीं किया गया है। क्रूरता, परित्याग और व्यभिचार के आधार को साबित करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है।

4. अभिलेख के अवलोकन से, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ता-ऋचा कुमारी को नोटिस न दिए जाने के आधार पर एकपक्षीय निर्णय कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं है और इसे पुनः सुनवाई के लिए वापस भेजने की आवश्यकता है। हम वर्तमान अपील के गुण-दोष के विवरण में जाने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि इस आधार पर कोई भी टिप्पणी किसी भी पक्ष के मामले को प्रभावित कर सकती है जब मामले की पुनः सुनवाई विचारण न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर की जाएगी।

5. 11.12.2017 को स्पीड पोस्ट द्वारा नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया गया। 28.03.2018 के आदेश पत्र में बताया गया है कि नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है और 28.05.2018 के आदेश

पत्र में बताया गया है कि मामला 16.07.2018 को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पोस्ट किया गया था। 28.05.2018 के पिछले आदेश पत्र में बताया गया है कि 16.07.2018 को अनुपालन रिपोर्ट आवश्यक है, लेकिन पिछले आदेश के अनुपालन का कोई विशेष उल्लेख नहीं है और 16.07.2018 को पुनः स्पीड पोस्ट नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया। 05.12.2018 को अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँची कि प्रकाशन आवश्यक है और दिनांक 16.02.2019, 02.05.2019, 16.07.2018 और 13.09.2018 के आदेश पत्र एक-दूसरे से अतिव्यापी हो रहे हैं। इस बारे में कोई विशेष निर्देश नहीं है कि क्या न्यायालय ने अपीलकर्ता को नोटिस की तामील की पुष्टि की है। दिनांक 05.12.2018 के आदेश पत्र से संकेत मिलता है कि राजपत्र प्रकाशन की अनुमति दी गई थी, लेकिन अदालत द्वारा इस बात पर कोई संतुष्टि दर्ज नहीं की गई कि अदालत ने प्रतिस्थापित तामील को अंतिम उपाय के रूप में क्यों माना है, जबकि अदालत ने इस बात पर कोई संतुष्टि व्यक्त नहीं की है कि यह मानने का कोई कारण है कि अपीलकर्ता तामील से बचने के उद्देश्य से, या किसी अन्य कारण से समन की तामील सामान्य तरीके से नहीं की जा सकती। अदालत ने भी कोई कारण नहीं बताया है कि अदालत ने प्रतिस्थापित तामील का विकल्प क्यों चुना। दिनांक 02.02.2021 के आदेश पत्र के अवलोकन से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मामला अपीलकर्ता के खिलाफ एकपक्षीय सुनवाई के लिए तय किया गया था। हालाँकि प्रक्रिया 11.12.2017 से शुरू हुई और अंततः प्रकाशन का आदेश 05.12.2018 को दिया गया। 02.02.2021 को न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँच गया कि अपीलकर्ता को जारी किया गया नोटिस ठीक से तामील कर दिया गया है, लेकिन 02.02.2021 को कोविड-

19 अपने चरम पर था, जो कि विश्व स्तर पर सभी को ज्ञात है। स्पीड पोस्ट नोटिस की तामील के संबंध में पारिवारिक न्यायालय के विभिन्न तिथियों के आदेश पत्रक दर्शाते हैं कि कैसे आदेश लापरवाही और नियमित तरीके से पारित किया गया है और किसी भी विशिष्ट तिथि पर इस बात की कोई चर्चा नहीं है कि न्यायालय अपीलकर्ता को दिए गए नोटिस की तामील से संतुष्ट है। आदेश पत्र स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि संबंधित न्यायालय द्वारा उठाए गए कदम सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 12, 15 और 17 के प्रावधानों के विरुद्ध हैं। संबंधित न्यायालय ने कभी भी इस बात पर संतुष्टि व्यक्त नहीं की कि उसने पक्षकारों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अगली प्रक्रिया क्यों शुरू की। जब तक न्यायालय स्वयं संतुष्ट नहीं हो जाता कि नोटिस ठीक से तामील नहीं किया गया था, तब तक वह पक्षकारों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य प्रक्रिया के लिए आदेश पारित कर सकता है। जब भी प्रतिस्थापित सेवा की आवश्यकता होती है तो न्यायालय को प्रतिस्थापित सेवा का कारण बताना होता है।

6. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **यल्लावा बनाम शांतव्या** मामले में दिए गए निर्णय को उद्धृत करना आवश्यक है, जिसकी रिपोर्ट (1997) 11 एससीसी 159 में की गई है, जिसमें यह माना गया है कि विचारण न्यायालय, संहिता के आदेश 5 नियम 12, 15 और 17 द्वारा निर्धारित सामान्य प्रक्रिया द्वारा उत्तरदाता को तामील कराने के लिए कदम उठाए बिना, प्रतिस्थापित तामील के लिए आवेदन को लगभग स्वतः ही स्वीकार नहीं कर सकता था। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रतिस्थापित

तामील का सहारा अंतिम उपाय के रूप में लिया जाना चाहिए जब उत्तरदाता को सामान्य तरीके से तामील नहीं कराई जा सकती हो और न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि यह मानने का कारण है कि उत्तरदाता तामील से बचने के उद्देश्य से रास्ते से हट रहा है, या किसी अन्य कारण से समन सामान्य तरीके से तामील नहीं कराया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग स्वतः ही प्रतिस्थापित सेवा की प्रक्रिया अपना ली गई थी। इस मामले में भी, जैसा कि पिछले पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है, विद्वान विचारण न्यायालय ने संहिता के आदेश 5 नियम 20 के तहत शक्ति के प्रयोग हेतु आवश्यक शर्तों के बारे में संतुष्टि दर्ज किए बिना ही तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया।

7. वर्तमान मामले में, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय ने लापरवाही और यांत्रिक तरीके से आदेश पारित किया है। दिनांक 02.02.2021 के आदेश पत्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि मामला एकपक्षीय सुनवाई के लिए तय किया गया है, जहाँ आदेश पत्र में बताया गया है कि अपीलकर्ता की उपस्थिति के लिए कितनी प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया है, लेकिन न्यायालय ने वैधानिक प्रावधान के तहत निष्पादित प्रक्रियाओं के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है जिससे न्यायालय संतुष्ट हो। आदेश पत्र में केवल यह दर्शाया गया है कि सभी प्रक्रियाएँ यह दिखाने के लिए की गई हैं कि सभी प्रक्रियाएँ समाप्त हो गई हैं, लेकिन वास्तव में वैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है और मामले को एकपक्षीय सुनवाई के लिए तय किया गया है, बिना उचित उपाय किए, जो वैधानिक प्रावधान के तहत अनिवार्य आवश्यकता है। संबंधित न्यायालय द्वारा 02.02.2021 को एकपक्षीय सुनवाई का आदेश पारित किया गया था

और यह विश्व स्तर पर सभी को ज्ञात है कि यह कोविड-19 का चरम काल था और कोविड-19 के दौरान, संबंधित न्यायालय ने मामले की संवेदनशीलता को समझे बिना, एक अनौपचारिक और नियमित तरीके से एकपक्षीय सुनवाई का आदेश पारित किया है। यह मामला दोनों पक्षों के वैवाहिक जीवन से संबंधित है। कोविड-19 के दौरान सभी मानवीय गतिविधियाँ रुक गई थीं। यह मामला, जो वैवाहिक विवाद से संबंधित है, विवाह रद्द करने या तलाक की कार्यवाही एक गंभीर मामला है और यह पति-पत्नी के पूरे जीवन से जुड़ा है, जिनके खिलाफ विवाह अमान्यता या तलाक की घोषणा के लिए डिक्री मांगी गई है। उक्त मामले में, न्यायालय को नोटिस जारी करने के अनुपालन के लिए यांत्रिक दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि न्यायालय को उन सभी वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिए जो पक्षकार की उपस्थिति के लिए समन जारी करने के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 12, 15, 17 और 20 के तहत शक्ति के प्रयोग हेतु पूर्व शर्तों के बारे में अपेक्षित हैं।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ता-ऋचा कुमारी को विधिवत नोटिस नहीं दिया गया था और प्रतिस्थापित तामील के निर्देश के लिए अपनाई गई प्रक्रिया दोषपूर्ण थी, इसलिए, अपीलकर्ता-ऋचा कुमारी के विरुद्ध पारित एकपक्षीय निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है। तदनुसार, वैशाली, हाजीपुर स्थित पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की अदालत द्वारा वैवाहिक (तलाक) वाद संख्या 264/2017 में पारित दिनांक 24.05.2022 का निर्णय और दिनांक 06.06.2022 की डिक्री अपास्त की जाती है। वैवाहिक (तलाक) वाद संख्या 264/2017 को वैशाली, हाजीपुर स्थित पारिवारिक न्यायालय के

प्रधान न्यायाधीश की फाइल पर बहाल किया जाता है। यह मामला, संबंधित पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने और सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद, इस निर्णय की प्रति प्राप्त/प्रस्तुत होने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर, विधि के अनुसार, अपने गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय हेतु पारिवारिक न्यायालय को वापस भेजा जाता है। पक्षों को वैवाहिक (तलाक) वाद संख्या 264/2017 के निपटान में सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है।

9. विचारण न्यायालय के अभिलेख तुरंत विद्वान विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाए।

10. लंबित आई. ए., यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ति)

शहजाद/
अमितकुमार

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।